



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in



पत्रांक:- 425/32 व्यग(वरिष्ठसहायक)-अधि-उ०/22

दिनांक- 07/07/2022

::कार्यालय-ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक-08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को निजीहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:-

क्रम सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्री स्वराज सिंह, वरिष्ठ सहायक	रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० बड़कोट	रा०मा०खण्ड लो०नि०वि० रुड़की (मु०-देहरादून)	17(1) (ख) (एक)

1- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

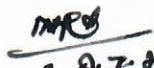
4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, रा०मा०, लो०नि०वि०, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 10वां रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट/रुड़की(मु०-देहरादून)।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बड़कोट/देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री स्वराज सिंह, वरिष्ठ सहायक, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।
8. गार्ड फ़ाइल।


08.7.2022
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



Phone & Fax:— 0135—2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

व्यवस्थापन "ग" वर्ग

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-<http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:—426/32 व्यग(वरि०सहा०)—अधि०—उ०/22

दिनांक— 8/07/2022

::कार्यालय—ज्ञापः::

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक-08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-1/46628/2022 दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत खण्डीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को निजीहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं:—

क्रम सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती (खण्ड का नाम)	नवीन तैनाती (खण्ड का नाम)	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1-	श्रीमती गीता चन्पाल, वरिष्ठ सहायक	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० हल्द्वानी	17(1) (ख) (पांच)

1- सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत/हल्द्वानी।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रानीखेत/हल्द्वानी।
6. अधिशासी अभियन्ता/आई०टी० हैड, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो०नि०वि० देहरादून को इस आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
7. श्री गीता चन्पाल, वरिष्ठ सहायक, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।
8. गार्ड फ़ाइल।

08.07.2022

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष